NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 20.5.2025

Page No. 4, Size:(13.52)cms X (25.65)cms.

16 प्राइवेट स्कूलों में 15,127 ईडब्ल्यूएस सीटों का घोटाला : डीपीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, एनसीपीसीआर चेयरपर्सन, एनएचआरसी चेयरपर्सन और चेयरपर्सन सीबीएसई को पत्र लिखकर राजधानी दिल्ली के नामी प्राइवेट स्कूलों में ईडब्लूएस सीटों का घोटाले के आंकड़ों को साक्ष्यों के साथ उजागर किया गया और सभी से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि पिछले 10 सालों में उदाहरण सैंपल 16 स्कूलों द्वारा 15127 गरीब बच्चों की सीटों का गबन करते हुए प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे साफ है यह आंकड़े केवल 16 स्कूलों के साझा किये गए तो संख्या 15127 है तो जब सरकार उपलब्ध आंकड़ों की गहन जांच करवाएगी तो संख्या लाखों में निकलेगी।

■ आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों में से अधिकतम केवल औसतन 13 प्रतिशत सीटें आवंटित

एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों की गड़बड़ी करते हुए स्कूल विभिन्न तरीकों से पैसा कमा कमा रहे हैं। सरकारी जमीन, स्कूलों को बहुत ही काम दामों में केवल इसी शर्त पर उपलब्ध कराई जाती है कि वह ईडब्लूएस बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित रखेंगे। महंगी जमीन कौड़ियों के दाम पर लेकर जहां स्कूल लाखों रुपए बचाते हैं वहीं अन्य माध्यमों से भी पैसा कमाते हैं। डीपीए ने सीमित उपलब्ध आंकड़ों (सरकारी दस्तावेज) का विश्लेषण किया और आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि ईडब्लूएस सीटों में पिछले 10 सालों में किस स्कूल द्वारा कितनी सीटों का घोटाला किया गया।

PRABHAT KHABAR, Jamshedpur, 20.5.2025

Page No. 2, Size:(15.46)cms X (6.10)cms.

एमजीएम हादसा में आयोग में शिकायतवाद दर्ज

जमशेदपुर. एमजीएम अस्पताल में तीन मई को मेडिकल विभाग के बरामदे की छत गिरने से चार लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले की पांच मई को विस्तृत रिपोर्ट झारखंड मानवाधिकार संगठन जेएचआरसी के प्रमुख मनोज मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी थी. साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी संबंधित जानकारी दी थी. इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने शिकायतवाद संख्या 53223/सीआर /2025 दर्ज किया है.

Northeast Today

Tripura Human Rights Commission Seeks Probe into Custodial Death of Bangladeshi National in Agartala

https://northeasttoday.in/2025/05/19/tripura-human-rights-commission-seeks-probe-into-custodial-death-of-bangladeshi-national-in-agartala/

Agartala, May 19, 2025: The Tripura Human Rights Commission has ordered a thorough investigation into the custodial death of a Bangladeshi undertrial, who passed away while undergoing cancer treatment at a government facility in Agartala.

The deceased, Aradhan Sarkar, 42, hailed from Habiganj in the Sylhet district of Bangladesh. He died on May 17 at around 6:30 am at the Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Centre. Sarkar had been incarcerated for allegedly entering India without proper documentation.

In a formal order issued recently, the Commission directed the Inspector General of Prisons to submit a comprehensive report by June 18. “Since this is a case of death while the undertrial prisoner was in custody, it is the duty of the Commission to ascertain the cause of death and the circumstances under which the death occurred,” the order noted.

Sarkar was initially lodged at the Khowai Sub-jail and later shifted to Kendriya Sansodhanagar, Bishalgarh, on April 17, following a judicial directive for improved medical care. He was admitted to the Male Medicine Ward of Agartala Government Medical College & GBP Hospital on April 19, based on medical advice, and subsequently transferred to the cancer centre for specialised treatment.

The Commission has sought key documents including initial health screening reports, detailed medical history, post-mortem findings with videography, and viscera examination reports. Authorities have also been asked to ensure that the family of the deceased, currently in Bangladesh, is contacted to claim the body after necessary formalities.

Additionally, the National Human Rights Commission in New Delhi has been informed of the incident, and cognisance has been taken at the national level.

The case has raised significant concerns over the treatment and medical facilities provided to foreign nationals in custody.

INDIA TODAY NE, Online, 20.5.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

India Today NE

Tripura rights body seeks probe into death of Bangladeshi national in custody at cancer centre

Tripura Human Rights Commission seeks probe into death of Bangladeshi national in custody. Authorities urged to ensure transparency and accountability

https://www.indiatodayne.in/tripura/story/tripura-rights-body-seeks-probe-into-death-of-bangladeshi-national-in-custody-at-cancer-centre-1215796-2025-05-19

Tanmoy Chakraborty | May 19, 2025, Updated May 19, 2025, 2:33 PM IST

The Tripura Human Rights Commission has demanded a comprehensive investigation into the death of a Bangladeshi national who died while receiving treatment at a cancer centre in Agartala while in custody.

Aradhan Sarkar, 42, from Habiganj in Bangladesh's Sylhet District, died on May 17 at the ABV Regional Cancer Centre, where he was undergoing treatment. Sarkar had been imprisoned for allegedly entering India illegally.

The rights body has directed the Inspector General of Prisons to submit a detailed report by June 18 addressing all aspects of the prisoner's death.

"Since this is a case of death while the undertrial prisoner was in custody, it is the duty of the Commission to ascertain the cause of death and the circumstances under which the death occurred," the Commission stated in its order.

According to prison authorities, Sarkar was initially held at Khowai Sub-jail but was transferred to Kendriya Sansodhanagar in Bishalgarh on April 17 following a judicial order for better medical care.

Two days later, medical officers recommended his admission to the Agartala Government Medical College & GB Pant Hospital, where he was admitted to the Male Medicine Ward. He was subsequently transferred to the cancer centre, where he died at approximately 6:30 am on May 17.

The human rights commission has requested extensive documentation, including the prisoner's initial health screening reports, complete medical records, post-mortem examination results with videography, and viscera reports.

"The said undertrial prisoner, Aradhan Sarkar, was sent to AGMC & GBP Hospital, Agartala, on April 19 at around 9:40 am for better medical treatment as advised by the Medical Officer," the official communication noted.

Police authorities in Khowai District have been instructed to contact the deceased's family members in Bangladesh to claim the body after completing necessary formalities.

The Commission has also notified the National Human Rights Commission in New Delhi that it has taken cognisance of the case and initiated proceeding

Janta Se Rishta

Tripura : हिरासत में बांग्लादेशी नागरिक की मौत की जांच की मांग की

https://jantaserishta.com/local/tripura/tripura-demand-for-investigation-into-the-death-of-bangladeshi-citizen-in-custody-4023536

SANTOSI TANDI19 May 2025 6:53 PM

त्रिपुरा Tripura : त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में रहते हुए अगरतला के एक कैंसर केंद्र में इलाज के दौरान मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक की व्यापक जांच की मांग की है। बांग्लादेश के सिलहट जिले के हबीगंज के 42 वर्षीय आराधन सरकार की 17 मई को एबीवी क्षेत्रीय कैंसर केंद्र में मौत हो गई, जहां उनका इलाज चल रहा था। सरकार को कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में जेल में डाला गया था। मानवाधिकार निकाय ने जेल महानिरीक्षक को कैदी की मौत के सभी पहलुओं को संबोधित करते हुए 18 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि यह हिरासत में रहते हुए

मौत का मामला है, इसलिए आयोग का यह कर्तव्य है कि वह मौत के कारण और मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाए।" जेल अधिकारियों के अनुसार, सरकार को शुरू में खोवाई उप-जेल में रखा गया था, लेकिन बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए न्यायिक आदेश के बाद 17 अप्रैल को बिशालगढ़ के केंद्रीय संसोधननगर में स्थानांतरित कर दिया गया था। दो दिन बाद, चिकित्सा अधिकारियों ने उसे अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और जी.बी. पंत अस्पताल में भर्ती कराने की सिफारिश की, जहाँ उसे पुरुष चिकित्सा वार्ड में भर्ती कराया गया। बाद में उसे कैंसर केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ 17 मई को सुबह लगभग 6:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई।

मानवाधिकार आयोग ने कैदी की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, संपूर्ण चिकित्सा रिकॉर्ड, वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम परीक्षा के परिणाम और विसरा रिपोर्ट सहित व्यापक दस्तावेज मांगे हैं।आधिकारिक संचार में कहा गया है कि, "उक्त विचाराधीन कैदी, आराधना सरकार को चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए 19 अप्रैल को सुबह लगभग 9:40 बजे ए.जी.एम.सी. और जी.बी.पी. अस्पताल, अगरतला भेजा गया था।"खोवाई जिले के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद शव का दावा करने के लिए बांग्लादेश में मृतक के परिवार के सदस्यों से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।आयोग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी सूचित किया है कि उसने मामले का संज्ञान लिया है और कार्यवाही शुरू कर दी है।

Orissa Post

NHRC seeks ATR on condition of rural populace in Keonjhar

https://www.orissapost.com/nhrc-seeks-atr-on-condition-of-rural-populace-in-keonjhar/

PNN | Updated: May 19th, 2025, 09:57 IST

Keonjhar: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an Action Taken Report (ATR) from the Keonjhar District Collector on the deplorable quality of life of rural populace in the district, who are deprived of basic education, healthcare, employment, and essential amenities.

Acting on a petition filed by human rights activist and Supreme Court lawyer Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order, highlighting the precarious living conditions and deprivation faced by residents in 781 villages across the district. Tripathy stated that although Keonjhar generates substantial revenue for the state, its people continue to live in abject poverty. The northern district holds vast reserves of iron ore, chromite, limestone, dolomite, nickel, and granite.

According to District Mineral Foundation (DMF) reports, Keonjhar has an estimated 2,555 million tonnes of iron ore reserves, expected to last for another 60 years at the current extraction rate of 55 million tonnes annually.

Despite the district's mineral wealth, the tribal (44.5%) and Scheduled Caste (11.62%) populations face ongoing political, social, cultural, economic, and environmental marginalisation. Mining companies, Tripathy contended, continue to accumulate wealth by displacing and neglecting these vulnerable communities.

Citing a baseline survey, Tripathy pointed out that 94.1% of households are below the poverty line, and 58.4% live in mud houses. Although substantial development funds are made available to district authorities, poor utilisation has resulted in widespread deprivation.

The failure to develop road infrastructure has exacerbated poverty, malnutrition, and social exclusion in tribal areas. Tripathy noted that there is no shortage of resources or funds for social and economic development. Proper utilisation and equitable distribution of DMF funds could eradicate hunger, poverty, and homelessness while establishing world-class infrastructure in health, education, transport, and communication, transforming the lives of people across 2,137 villages and 297 gram panchayats.

Based on international calculations, if DMF funds are disbursed appropriately, each village in Keonjhar could receive Rs5.46 crore, and each gram panchayat could get Rs39.34 crore, the petition argued.

Tripathy further criticised successive state governments for approaching mineral-rich districts like Keonjhar with a rent-seeking, colonial mindset—extracting wealth without addressing the welfare of the local population. He labelled this neglect as a result of

visionless leadership that treats politics as a means of personal enrichment. He urged the NHRC to initiate an urgent reassessment of the quality of life of tribal communities in Keonjhar and to explore the role of education in improving these conditions. He also recommended the implementation of Artificial Intelligence (AI)-driven accessibility audits to improve planning and execution processes. These audits, he said, could help identify infrastructure gaps in real time using sensor networks and computer vision systems.

"The commission is of the considered view that the allegations levelled in the complaint are serious violations of the human rights of the victims. Accordingly, the registry is directed to send a copy of the complaint to the District Magistrate-cum-Collector, Keonjhar, Odisha, to examine the matter and submit a report expeditiously within a period of 15 days, treating the matter as very urgent," the NHRC stated in its order.

As per DMF Keonjhar, a total of Rs 11,684 crore has been collected cumulatively. In the 2023–24 financial year alone, Rs1,731 crore was collected, compared with Rs580 crore in 2014–15. As per constitutional provisions, these funds are intended for the welfare of local communities, particularly those affected by mining-related industrialisation.

PNN

Janta Se Rishta

NHRC ने क्योंझर में ग्रामीण आबादी की स्थिति पर एटीआर मांगी

https://jantaserishta.com/local/odisha/nhrc-seeks-atr-on-status-of-rural-population-in-keonjhar-4022524

Kiran19 May 2025 1:13 PM Keonjhar

क्योंझर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने क्योंझर के जिला कलेक्टर से जिले के ग्रामीण लोगों के जीवन की दयनीय गुणवत्ता पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है, जो बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और आवश्यक सुविधाओं से वंचित हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए, एनएचआरसी ने जिले भर के 781 गांवों में निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चित जीवन स्थितियों और अभाव को उजागर करते हुए यह आदेश पारित किया। त्रिपाठी ने कहा कि हालांकि क्योंझर राज्य के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करता है, लेकिन इसके लोग अभी भी घोर गरीबी में जी रहे हैं। उत्तरी जिले में लौह अयस्क, क्रोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, निकल और ग्रेनाइट के विशाल भंडार हैं। जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की रिपोर्ट के अनुसार, क्योंझर में अनुमानित 2,555 मिलियन टन लौह अयस्क भंडार है,

जो वर्तमान में 55 मिलियन टन वार्षिक निष्कर्षण दर पर अगले 60 वर्षों तक चलने की उम्मीद है। जिले की खनिज संपदा के बावजूद, आदिवासी (44.5%) और अनुसूचित जाति (11.62%) आबादी को निरंतर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हाशिए पर धकेला जा रहा है। त्रिपाठी ने तर्क दिया कि खनन कंपनियाँ इन कमज़ोर समुदायों को विस्थापित और उपेक्षित करके धन संचय करना जारी रखती हैं। एक आधारभूत सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, त्रिपाठी ने बताया कि 94.1% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और 58.4% मिट्टी के घरों में रहते हैं। हालाँकि जिला अधिकारियों को पर्याप्त विकास निधि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन खराब उपयोग के कारण व्यापक अभाव हुआ है।

सड़क अवसंरचना विकसित करने में विफलता ने आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ा दिया है। त्रिपाठी ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संसाधनों या निधियों की कोई कमी नहीं है। डीएमएफ निधियों का उचित उपयोग और समान वितरण भूख, गरीबी और बेघरपन को मिटा सकता है जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और संचार में विश्व स्तरीय अवसंरचना स्थापित कर सकता है, जिससे 2,137 गाँवों और 297 ग्राम पंचायतों के लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गणना के आधार पर, यदि डीएमएफ फंड का उचित वितरण किया जाता है, तो क्योंझर के प्रत्येक गांव को 5.46 करोड़ रुपये और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 39.34 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। त्रिपाठी ने लगातार राज्य सरकारों की आलोचना की कि क्योंझर जैसे खनिज समृद्ध जिलों में किराया-मांगने वाली, औपनिवेशिक मानसिकता के साथ काम किया जा रहा है - स्थानीय आबादी के कल्याण को संबोधित किए बिना धन कमाना।

उन्होंने इस उपेक्षा को दूरदर्शिताहीन नेतृत्व का परिणाम बताया जो राजनीति को व्यक्तिगत समृद्धि के साधन के रूप में देखता है। उन्होंने एनएचआरसी से क्योंझर में आदिवासी समुदायों के जीवन की गुणवत्ता का तत्काल पुनर्मूल्यांकन शुरू करने और इन स्थितियों को सुधारने में शिक्षा की भूमिका का पता लगाने का

आग्रह किया। उन्होंने योजना और निष्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित एक्सेसिबिलिटी ऑडिट के कार्यान्वयन की भी सिफारिश की। उन्होंने कहा कि ये ऑडिट सेंसर नेटवर्क और कंप्यूटर विज़न सिस्टम का उपयोग करके वास्तविक समय में बुनियादी ढाँचे की कमियों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। एनएचआरसी ने अपने आदेश में कहा, "आयोग का विचार है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। तदनुसार, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह शिकायत की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट-सह-कलेक्टर, क्योंझर, ओडिशा को भेजे, ताकि मामले की जाँच की जा सके और मामले को बहुत ज़रूरी मानते हुए 15 दिनों की अवधि के भीतर शीघ्रता से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।" डीएमएफ क्योंझर के अनुसार, कुल मिलाकर 11,684 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। अकेले 2023-24 वित्तीय वर्ष में, 1,731 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जबकि 2014-15 में 580 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, ये फंड स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से खनन-संबंधी औद्योगीकरण से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए हैं।

The Week

Delhi street vendors allege illegal evictions despite valid vending certificates

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/05/19/des62-dl-street-vendors-eviction.html

PTI Updated: May 19, 2025 20:45 IST

New Delhi, May 19 (PTI) New Delhi, May 19 (PTI) A section of the city's street vendors on Monday alleged that they are facing continuous evictions across the national capital as part of the government's cleanliness drive.

They alleged that even vendors with Certificate of Vending (CoV) are being removed and their spaes and their goods being taken away without seizure memos.

There was no immediate response available from the Delhi government or the civic authorities.

The National Association of Street Vendors of India (NASVI), at a public hearing, said that fines are being imposed, leading to double financial loss.

Vendors said officials cited “higher orders” as a reason for the ongoing drives.

"It seems promises made to us during elections have been forgotten," NASVI said in a statement.

The statement said that the association wrote letters to all stakeholders including -- the Delhi Government, Municipal Corporation of Delhi (MCD), Police, and Public Works Department (PWD).

"The survey of left-out street vendors is being conducted by the MCD. A week before the survey, vendors will be removed. Who will be surveyed?" the association questioned in the statement.

Shiv Kumari, who sells pottery in Madhu Vihar, said she was evicted weeks ago.

"We have the right to earn. If we can’t work, how will we feed our families? Whose doors should we knock? " she asked.

Vendor Rina Devi from Mehrauli and Shailendra Singh from Malviya Nagar said their carts were seized without notice or memo. Suman Lata, a widow and the sole earner of her family, said she was also evicted despite being the sole breadwinner in her household.

Santosh another vendor from Malviya Nagar said he had taken a Prime Minister SVANidhi loan but was evicted shortly after.

"On one hand, they offer support, on the other, they come with bulldozers," he said, adding "When we ask for a seizure memo, they refuse and impose heavy fines."

Citing the Street Vendors Act, 2014, NASVI pointed out that no vendor can be evicted until a survey is completed and CoVs are issued. "The act mandates a 30-day notice before eviction, and Section 27 prohibits harassment of vendors who are operating legally," the vendors' association said.

It is very disheartening to see vendors being treated worse than animals, Arbind Singh, National Coordinator of NASVI said.

"The government was elected with the support of vendors, and we demand an end to these illegal evictions. The MCD must be made accountable to the people it serves," he

said.

Panellists, including BJP leader Rajeev Babbar and National Commission for Women member Mamta Kumari, assured vendors that they would facilitate a dialogue with MCD officials and the Delhi Chief Minister.

NASVI said it will continue to push for a formal notification of vending guidelines for Delhi, the statement said.

The hearing saw participation from members of the **National Human Rights Commission**, National Commission for Women, Confederation of Indian Industry, political parties, and civil society groups.

Street vendors from several areas shared accounts of harassment, fines, and eviction despite possessing legal vending certificates.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

Janta Se Rishta

स्ट्रीट वेंडर्स ने वैध प्रमाण-पत्र होने के बावजूद बेदखली का आरोप लगाया

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/street-vendors-allege-eviction-despite-having-valid-certificates-4024008

Kiran 20 May 2025 8:38 AM

Delhi दिल्ली : राजधानी में चल रहे बेदखली अभियान पर बढ़ती चिंताओं के बीच, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) ने सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक सार्वजनिक सुनवाई की, जिसमें सरकार पर शहरव्यापी सफाई अभियान की आड़ में वैध स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। सुनवाई में प्रभावित विक्रेताओं की गवाही हुई और नागरिक समाज के सदस्यों, कानूनी विशेषज्ञों और राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों ने तीखी आलोचना की। NASVI ने आरोप लगाया कि वैध सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (CoV) रखने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को जबरन हटाया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और बिना किसी नोटिस या आधिकारिक जब्ती ज्ञापन के उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है - जो स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 का सीधा उल्लंघन है।

NASVI के राष्ट्रीय समन्वयक अरबिंद सिंह ने कहा, "सफाई अभियान एक स्वच्छता अभियान होने के बजाय, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अभिशाप बन गया है।" “बार-बार कहने के बावजूद, अधिकारी कानून की पूरी तरह अवहेलना करते हुए बेदखली जारी रखे हुए हैं। कोविड से संक्रमित विक्रेताओं के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होते देखना दिल दहला देने वाला है।” इस पैनल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रयास और फाउंडेशन फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस जैसे नागरिक समाज संगठनों के अधिकारी और प्रतिनिधि, साथ ही भाजपा और अन्य हितधारकों के राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल थे। उल्लेखनीय रूप से, NCW की ममता कुमारी और भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बब्बर ने विक्रेताओं को आश्वासन दिया कि समाधान के लिए MCD और दिल्ली सरकार के साथ बातचीत शुरू की जाएगी।

शहर भर के स्ट्रीट वेंडरों ने उत्पीड़न के परेशान करने वाले किस्से सुनाए। मधु विहार की शिव कुमारी, जो मिट्टी के बर्तन बेचती हैं, ने कहा, “हमें आजीविका कमाने का अधिकार है। अब हम कहाँ जाएँ?” पीएम स्वनिधि ऋण प्राप्तकर्ता मालवीय नगर के संतोष ने सवाल उठाया कि अगर अधिकारी उन्हें बेदखल करना जारी रखते हैं तो वे ऋण कैसे चुकाएंगे। विक्रेताओं रीना देवी और शैलेंद्र सिंह ने क्रमशः महरौली और मालवीय नगर में उनके सामान और गाड़ियों को मनमाने ढंग से जब्त करने का आरोप लगाया। रोहिणी ज़ोन की विधवा और टीवीसी सदस्य सुमन लता, जिनके पास वैध वेंडिंग प्रमाणपत्र है, ने कहा कि उन्हें बिना किसी कारण बताए बेदखल कर दिया गया। 2014 के अधिनियम का हवाला देते हुए, NASVI ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी विक्रेता को उचित सर्वेक्षण, प्रमाणन और 30-दिन के नोटिस के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 27 पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न को भी रोकती है यदि विक्रेता कानूनी सीमाओं के भीतर काम कर रहा है।

Sharp Bharat

Jamshedpur mgm hospital incident : एमजीएम अस्पताल में कोरिडोर गिरने से हुई चार मरीजों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, होगी कार्रवाई

https://sharpbharat.com/information/jamshedpur-mgm-hospital-incident-national-human-rights-commission-took-cognizance/518172/

19 मई 2025

जमशेदपुर : जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के कोरिडोर गिरने एवं चार मरीजों की मौत मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है. इस मामले मे आयोग ने झारखण्ड मानवाधिकार संगठन जेएचआरसी के प्रमुख मनोज मिश्रा को जानकारी दी है. आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत वाद संख्या 53223/सीआर/2025 दर्ज किया है. मनोज मिश्रा ने बताया है कि अस्पताल के कोरिडोर गिरने के मामले पर उन्होने आयोग से शिकायत करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी. इसमें पूरे मामले पर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गयी थी. मनोज मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मामले की जानकारी झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी है. मनोज मिश्रा ने रिपोर्ट मे सवाल उठाया है कि साकची स्थिति 60 वर्ष पुराने जर्जर अस्पताल बिल्डिंग से डिमना मे बने नए अस्पताल भवन मे मरीजों को समय रहते क्यों शिफ्ट नहीं किया जा सका ? इस बड़े लापरवाही के कारण चार निर्दोषों की जान गयी है, इसकी जबाबदेही तय होनी चाहिए. (नीचे भी पढ़ें)

इससे जुड़े दोषियों पर हर हाल मे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भवन निर्माण विभाग ने तीन वर्ष पूर्व इसी पुराने बिल्डिंग मे रिपेयर का काम किया था, उसके बाद भी उन्होने पुराने बिल्डिंग की जर्ज़र अवस्था को लेकर अबतक कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाया ? क्या उन्होंने पुराने अस्पताल भवन को कंडम घोषित किया था? क्या उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को पुराने भवन की जर्जर एवं बेहद कमजोर स्तिथि की जानकारी या कोई नोटिस जारी किया था ? उन्होने कहा कि अस्पताल के भवनो का सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं कराया गया? मनोज मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और जिला प्रशासन के बार बार के निर्देश के बाद भी अस्पताल के मरीजों को क्यों शिफ्ट नहीं किया गया? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? नए अस्पताल भवन मे पानी की समस्या का समाधान इतने लंबे समय गुजरने के बाद भी क्यों नहीं किया गया, इसमें किसके स्तर पर गंभीर लापरवाही बरती गयी? इन सभी मुद्दों पर उच्च स्तरीय जाँच किये जाने की जरूरत है. उन्होने बताया कि अपने नागरिकों को बेहतर ईलाज एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व एवं कर्तव्य क्षेत्र है, ऐसे मे गरीबो को ईलाज के बदले मौत परोसा गया जो असहनीय एवं अक्षम्य है. इस पूरे मामले मे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने की जरूरत है.

Prabhat Khabar

Jamshedpur News : एमजीएम में चार मरीजों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किया शिकायतवाद

एमजीएम अस्पताल में तीन मई को मेडिकल विभाग के बरामदे की छत गिरने से चार लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट झारखंड मानवाधिकार संगठन जेएचआरसी के प्रमुख मनोज मिश्रा ने पांच मई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी थी.

https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/jamshedpur/national-human-rights-commission-filed-a-complaint-in-case/amp

By RAJESH SINGH | May 20, 2025 1:07 AM

Jamshedpur News

एमजीएम अस्पताल में तीन मई को मेडिकल विभाग के बरामदे की छत गिरने से चार लोगों की मौत हो गयी थी. इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट झारखंड मानवाधिकार संगठन जेएचआरसी के प्रमुख मनोज मिश्रा ने पांच मई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी थी. साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी संबंधित जानकारी दी थी. इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने शिकायतवाद संख्या 53223/सीआर /2025 दर्ज किया है.

रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर उठाये थे सवाल

साकची स्थित 60 वर्ष पुराने जर्जर अस्पताल भवन से मरीजों को समय रहते डिमना स्थित नये अस्पताल में स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया, जबकि यह विकल्प पहले से उपलब्ध था? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? भवन निर्माण विभाग ने तीन वर्ष पूर्व जिस पुराने भवन की मरम्मत की थी, उसकी स्थिति फिर से जर्जर हो गई — तो क्या मरम्मत कार्य मानकों के अनुसार हुआ था? यदि नहीं, तो इसकी निगरानी और स्वीकृति की जिम्मेदारी किसकी थी?

क्या उक्त अस्पताल भवन को 'कंडम' घोषित किया गया था? यदि हां, तो उस स्थिति में भी मरीजों का इलाज वहां क्यों जारी रहा?

क्या भवन निर्माण विभाग या किसी अन्य संबंधित एजेंसी ने अस्पताल प्रबंधन को भवन की जर्जर और खतरनाक स्थिति के बारे में कोई चेतावनी या नोटिस जारी किया था? यदि नहीं, तो यह गंभीर चूक क्यों हुई?

अस्पताल के भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा (सेफ्टी ऑडिट) अब तक क्यों नहीं करायी गई? क्या इसकी नियमित जांच की कोई नीति है, और अगर है तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ?

स्वास्थ्य मंत्रालय और जिला प्रशासन द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद मरीजों को नये अस्पताल भवन में स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया? इस आदेश की अनदेखी किस स्तर पर और क्यों हुई?

नये अस्पताल भवन में पानी की समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं किया जा सका? किस विभाग या अधिकारी की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार मानी जाए?

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

IndiaTV

दिल्ली के बड़े-बड़े स्कूलों ने किया घोटाला! 15,127 गरीब बच्चों का खाया हक; पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया दावा

दिल्ली के कई बड़े नामी स्कूलों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 15,127 गरीब बच्चों को एडमिशन न देकर सामान्य बच्चों को एडमिशन दिया और उनसे पैसे खाए।

https://www.indiatv.in/education/delhi-schools-stole-the-rights-of-15-127-ews-children-parents-association-made-the-claim-2025-05-19-1136623

Edited By: Shailendra Tiwari@@Shailendra_jour | Published : May 19, 2025 22:03 IST, Updated : May 19, 2025 22:03 IST

दिल्ली के बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों ने 15,127 गरीब बच्चों का हक खाया है, इन बच्चों को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत फ्री एडमिशन दिया जाना था, पर इन स्कूलों ने गरीब बच्चों को हक देने के बजाया घोटाला कर दिया। यह दावा पेरेंट्स एसोसिएशन ने किया है। एसोसिएशन ने इसकी शिकायत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजी वीके सक्सेना, एनसीपीसीआर चेयरपर्सन, एनएचआरसी चेयरपर्सन और सीबीएसई चेयरपर्सन से की है और घोटाले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

16 स्कूलों के नाम आए सामने

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने अपने पत्र में लिका कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के 16 प्राइवेट स्कूलों ने 15127 EWS बच्चों की सीटों पर उन्हें एडमिशन नहीं दिया। आगे एसोसिशन ने दावा किया कि यह आंकड़ा तो महज 16 है पर ठीक से सरकार ने जांच कराई तो संख्या और भी निकलेगी।

एसोसिएशन ने दावा किया कि रिजर्व सीटों पर गड़बड़ी कर प्राइवेट स्कूल संचालक पैसे कमा रहे हैं, जबकि स्कूलों को सरकारी जमीन इसलिए दी जाती है ताकि वे गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखें और उन्हें एडमिशन दें।

EWS कैटेगरी के बच्चों से पूरी फीस वसूल रहे

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अनुसार महंगी जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदकर ये प्राइवेट स्कूल अपने लाखों रुपये बचाते हैं और अन्य माध्यमों से भी खूब पैसा कमाते हैं। पत्र में आगे कहा गया कि प्राइवेट स्कूल EWS/DG से संबंधित कोटे की सीटें बेचकर, EWS बच्चों का खर्चा सामान्य पेरेंट्स से वसूलते हैं और EWS बच्चों के नाम पर सरकारी धन भी लूट रहे हैं। इसके अलावा, किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री के अलावा, कई स्कूल को EWS कैटेगरी के बच्चों से पूरी फीस वसूलते हैं।

कौन-कौन से स्कूलों पर लगे आरोप?

सलवान पब्लिक स्कूल, मयूर विहार

ओपीजी वर्ल्ड स्कूल, द्वारका

श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, द्वारका

जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल, सरिता विहार

लेंसर्स कॉन्वेंट स्कूल, प्रशांत विहार

सचदेवा पब्लिक स्कूल, रोहिणी

सेंट जॉर्ज स्कूल ,अलकनंदा

वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 10 द्वारका

अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल, दिलशाद गार्डन

आदर्श शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मयूर विहार

महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, अशोक विहार

महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल, पीतमपुरा

महाराजा अग्रसेन आदर्श विद्यालय, पीतमपुरा

मैक्स फोर्ट स्कूल, पीतमपुरा

न्यू ऑक्सफॉर्ड पब्लिक स्कूल, विवेक विहार दिल्ली

नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल, आईपी एक्सटेंशन

TV9 Bharatvarsh

Delhi EWS Admission Scam: दिल्ली के नामी प्राइवेट स्कूलों में 15,127 गरीब बच्चों का मारा गया हक, पैरेंट्स एसोसिएशन का दावा

https://www.tv9hindi.com/education/delhi-ews-admission-scam-15127-poor-children-affected-their-rights-in-private-schools-claims-parents-association-3297962.html#:~:text=%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%B9%E0%A5%88.-,%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B8%20%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%8F%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%20%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%87%20%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%9B%E0%A4%B2%E0%A5%87%2010,%E0%A4%AF%E0%A4%B9%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%82%20%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80.

दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसीडेंट अपराजिता गौतमके मुताबिक पिछले 10 सालों में 16 निजी स्कूलों ने 15127 गरीब बच्चों की सीटों का गबन करते हुए उन्हें प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया. एसोसिएशन का दावा है कि अगर सही से जांच कराई जाए तो ऐसे बच्चों का आंकड़ा लाखों में निकलेगा.

TV9 Bharatvarsh | Updated on: May 19, 2025 | 6:01 PM

दिल्ली के नामी प्राइवेट स्कूलों ने बीते 10 साल में 15,127 गरीब बच्चों का हक मारा है. इन बच्चों को EWS कोटे के तहत नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना था, लेकिन निजी स्कूलों ने सीटों में घोटाला कर ऐसा नहीं किया. दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन ने यह दावा किया है. एसोसिएशन की ओर से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उप राज्यपाल, NCPCR चेयरपर्सन, NHRC चेयरपर्सन और चेयरपर्सन CBSE को पत्र लिखकर EWS सीटों में हुए घोटाले को साक्ष्यों के साथ उजागर किया है और कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसीडेंट अपराजिता गौतमके मुताबिक पिछले 10 सालों में 16 निजी स्कूलों ने 15127 गरीब बच्चों की सीटों का गबन करते हुए उन्हें प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया. एसोसिएशन ने दावा किया है कि ये आंकड़ा तो महज 16 स्कूलों का है, अगर सरकार ठीक तरीके से जांच कराएगी तो यह संख्या लाखों में निकलेगी.

EWS सीटों में खेल कर कमाया जा रहा पैसा

दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन का दावा है कि आरक्षित सीटों पर गड़बड़ी कर निजी स्कूल संचालक पैसा कमाने में लगे हैं.यह तब किया जा रहा है कि जब स्कूलों को सरकारी जमीन कम दाम पर सिर्फ इसलिए उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे EWS बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित रखें.

ऐसे खेल कर रहे निजी स्कूल

दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक महंगी जमीन को कौड़ियों के भाव में लेकर स्कूल लाखों रुपये बचाते हैं और अन्य माध्यमों से भी पैसा कमाते हैं. पत्र में बताया गया है कि निजी स्कूल EWS/DG से संबंधित सीटों को बेचकर, EWS बच्चों का खर्चा सामान्य पैरेंट्स से वसूलकर, आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों के नाम पर सरकार से पैसा लेकर खेल कर रहे हैं. इसके अलावा किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री के अलावा कई स्कूल को EWS श्रेणी के बच्चों से पूरी फीस वसूलते हैं.

इन स्कूलों पर लगाए गए आरोप

सलवान पब्लिक स्कूल मयूर विहार, ओपीजी वर्ल्ड स्कूल द्वारका, श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल सरिता विहार, लेंसर्स कॉन्वेंट स्कूल प्रशांत विहार, सचदेवा पब्लिक स्कूल रोहिणी, सेंट जॉर्ज स्कूल अलकनंदा, वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका, Arwachin इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन, ASN SR. SEC SCHOOL,मयूर विहार, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार, महाराजा अग्रसेन आदर्श विद्यालय पीतमपुरा, महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल पीतमपुरा, मैक्स फोर्ट स्कूल पीतमपुराना, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल आईपी एक्सटेंशन, न्यू ऑक्सफॉर्ड पब्लिक स्कूल, विवेक विहार दिल्ली.

Patrika

स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मिशन अस्पताल की मान्यता की खत्म, नहीं होगा यहां इलाज

-प्रबंधन को अब नए सिरे से करना होगा आवेदन।
-फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कैथलैब का संचालन होना पाए जाने पर हुई कार्रवाई

https://www.patrika.com/news-bulletin/state-medical-council-has-cancelled-the-recognition-of-mission-hospital-no-treatment-will-be-provided-here-19607786

दमोह•May 19, 2025 / 11:54 am•

आकाश तिवारी

दमोह. फर्जी कॉर्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति और फर्जी तरीके से कैथलैब का रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में भले ही मानवाधिकार आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन शासन स्तर से कार्रवाई जारी है। स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मिशन अस्पताल के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें मिशन अस्पताल की मान्यता की समाप्त कर दी है। इस कार्रवाई से यह अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब प्रबंधन को नए सिरे से इसे चालू करने के लिए आवेदन करने होंगे। इधर, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने शासन को पत्र भी लिखा है। उन्होंने बताया कि शासन को लिखे पत्र में इस अस्पताल को सरकारी स्तर पर चलाने या पीपीपी मोड में इसका संचालन शुरू करने की मांग की है। हालांकि अभी तक पत्र के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है।

यह है पूरा मामला

बता दें कि जनवरी-फरवरी महीने में मिशन अस्पताल में फर्जी कॉर्डियोलॉजिस्ट की डिग्री के सहारे डॉ. एनजोन केम ऊर्फ नरेंद्र यादव ने नौकरी हासिल की थी। इस दौरान उसने सात हृदयरोगियों की एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की थी। सभी की मौत हो गई थी। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। इसके बाद यह फर्जीबाड़ा उजागर हुआ। डॉ. नरेंद्र यादव की एमआरसीपी की डिग्री फर्जी मिली। वहीं मिशन अस्पताल की कैथलैब भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित होना पाई गई। इसी आधार पर डॉ. यादव सहित अस्पताल प्रबंंधन के नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं, कैथलैब सील की गई। अब अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया।

-आयोग की रिपोर्ट का इंतजार

इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग की टीम ने की है। ४००० पन्नों की रिपोर्ट टीम साथ लेकर गई थी। दिल्ली में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जांच में वक्त लग रहा है। यही वजह है कि आयोग की जांच पूरी नहीं हो पाई है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होने का इंतजार हो रहा है।